जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2013/ 7017 दिनांक 03/06/2013

// कार्यालयीन आदेश //

श्री जय प्रकाश शर्मा, नि0श्रे0लि0 89 दिवस, विधि संस्थान जीवाजी विश्वविद्यालय, निदेशक विधि संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी/सूचना अनुसार आप माह जनवरी 2012 से बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित है कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निदेशक विधि संस्थान द्वारा आपको अनेकों बार सूचित किया गया है लेकिन आपके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। अनुपस्थिति के संबंध में आपको पत्र क्रमांक एफ/प्रशा/स्था/2013/6698 दिनांक 27.02.2013 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, कि आप तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। लेकिन आपके द्वारा न तो पत्र प्राप्त किया गया न ही स्पष्टीकरण देना उचित समझा गया, जो कि स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता एवं आदेश की अवहेलना है। आदेश क्रमांक एफ/प्रशा/स्था/2013/6919 दिनांक 07.05.2013 द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 08.05.2013 के समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई, कि आप सूचना के प्रकाशित होने के तीन दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन आपके द्वारा इस सूचना के पश्चात् भी विभाग में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई।

इस प्रकार आपके आचरण एवं व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कार्य करने में कोई रूचि नहीं है तथा आप विश्वविद्यालय में कार्य करने के इच्छुक नहीं है। आपके द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा लगातार आदेशो की अवहेलना की गई है। विश्वविद्यालय को अब आपकी अस्थाई सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.05.2013 के अनुसार आपकी नि0श्रे0लि0 (89 दिवस) की अस्थाई सेवाएं समाप्त की जाती है

कुलसचिव

प्रति,

श्री जयप्रकाश शर्मा
नि0श्रे0लि0 (89 दिवस)
विधि संस्थान
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रतिलिपिः—

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. सहायक/उपकुलसचिव (प्रशा0), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
6. नोटिस बोर्ड।

सहा0कुलसचिव (प्रशा0)